



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 चैत्र 1943 (श10)

(सं0 पटना 192) पटना, मंगलवार 23 मार्च 2021

l kflFkd foUk fun'kky ;
foUk foHkx

अधिसूचना

18 मार्च 2021

I/O 08@NBFC-12/2019-699—केन्द्र सरकार के अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, सचिव, वित्त विभाग (प्रभारी सचिव, सांस्थिक वित्त निदेशालय) को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकार के शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकार अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky di vkn'k l]
Mk(E , l(E fl)kfk]
i/kku lfpoA

Directorate of Institutional Finance
Finance Department

Notification

18th March 2021

F/No-08/NBFC-12/2019-699—In exercise of the powers conferred under Section 7(1) of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019) of Central Government of India, the State Government, hereby, notifies Secretary, Finance Department (In-charge Secretary, Directorate of Institutional Finance) as Competent Authority for the purpose of discharging the powers and functions of Competent Authority under the said Act.

2. It shall come into force from the date of issuance of the notification.

By the order of the Governor of Bihar,

Dr. S. Siddharth,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 192-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>